संख्या-290/2018/2536ई(4)(1)/23-11-2018-1/2(142)/18

प्रेषक,

योगेश्वर राम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु स्वीकृत चालू कार्य के सापेक्ष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-7313बी0जी0/7बी0-मांग/2018-19, दिनांक 30.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01 चालू कार्य के सापेक्ष रू0 0.32 लाख (रूपया बत्तीस लाख मात्र) का धनावंटन निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत/लागत	दि0 31.03.18 तक आवंटन/व्यय	दि0 01.04.18 को अवशेष (स्वीकृत लागत पर)	क्षेत्र से प्राप्त मांग	वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित आवंटन		
							अनुदान सं0-58	अनुदान सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि0ख0 जौनपुर	जनपद जौनपुर में मुगराबादशाहपुर-तरहटी-किल्हापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 9.70 किमी0)	1141.25	1140.93	0.32	0.32	0.25	0.07	0.32

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आबंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा दिनांक 30.04.2019 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-13-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधान्ति धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के आलोक में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-290/2018/2536ई(4)(1)/23-11-2018-1/2(142)/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
4- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
11- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
उप सचिव।